1930
7.7.14

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

श्री दीपक कुमार, उप प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिस्फी, मधुबनी) के विरूद्ध प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिस्फी (मधुबनी) से प्राप्त पत्र पत्रांक– 186 दिनांक– 23.10.2013 के द्वारा श्री कुमार का कार्य संतोषजनक नहीं पाते हुए उनके द्वारा किये जा रहे कार्यो एवं गतिविधियों से संबंधित सूचना प्राप्त हुई ।

(2) प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिस्फी से प्राप्त उक्त पत्र पर विभागीय पत्रांक– 4214 दिनांक– 14.11.2013 के द्वारा श्री दीपक कुमार से बिन्दुवार स्पष्टीकरण की माँग की गई ।

(3) श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर समीक्षोपरान्त श्री शशि शंकर चौधरी, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) को स्वयं स्थल भ्रमण कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया ।

(4) श्री शशि शंकर चौधरी, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) से स्थल निरीक्षण कर समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुए जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि श्री कुमार अपने कार्यो एवं दायित्वों के निर्वहन में अभिरूचि नहीं लेते हैं । उक्त आलोक में निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण का मंतव्य भी प्राप्त किया गया, जिसमें निदेशक द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध लघु दण्ड अधिरोपित किये जाने की अनुशंसा की गयी।

(5) उप प्राचार्य, बिस्फी (मधुबनी) के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके प्रत्युतर एवं संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण के प्रतिवेदन एवं निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण के मंतव्य पर समीक्षोपरान्त निष्कर्षतः पाया गया कि श्री दीपक कुमार का कार्य–कलाप संतोषजनक नहीं है । वे अपने कार्यो तथा दायित्वों के निर्वहन में विफल रहे हैं तथा यह भी स्पष्ट है कि उनका संबंध वरीय पदाधिकारियों यथा प्राचार्य के साथ सहयोगात्मक नहीं है । वे मुख्यालय में नहीं रहते हैं । उनके द्वारा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए माननीय विभागीय मंत्री के साथ पत्राचार किया गया ।

(6) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में उप प्राचार्य का पद एक महत्वपूर्ण पद है एवं संस्थान के कार्यो का कार्यान्वियन एवं उसके सुदृढ़ीकरण में उनका योगदान आवश्यक है । श्री कुमार एक नवनियुक्त पदाधिकारी हैं और उनका कार्यकलाप अभी से ही असंतोषजनक है ।

अतएव सरकार द्वारा सम्यक समीक्षोंपरान्त श्री दीपक कुमार के विरूद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध होने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील((संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम– 2 (1) (V) के तहत उन्हें निम्नांकित लघुदण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

कृ0पृ0उ0

(क) निन्दन की सजा, जिसकी प्रवृष्टि उनके वर्ष 2014– 15 की सेवा पुस्तिका में की जायेगी ।

(ख) उनकी दो वेतनवृद्धियॉ असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड ।

प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि एक प्रति श्री दीपक कुमार, उप प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिस्फी (मधुबनी) को निबंधित डाक से उपलब्ध करायें ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(देव नन्दन यादव)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0 (01)– 64/2013 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी ई. गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सी0 डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध करायें ।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0 (01)– 64/2013 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0 (01)– 64/2013 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

निबंधित

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, मधुबनी/ कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0 (01)– 64/2013 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

निबंधित

प्रतिलिपि– श्री दीपक कुमार, उप प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिस्फी (मधुबनी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव
कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0 (01)– 64/2013 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/ अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रभारी गोपनीय चारित्री, श्रम संसाधन विभाग/ अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लोक सूचना पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी (सरकार पक्ष), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 6 श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को 05 (पॉच) अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0 (01)– 64/2013 श्र0सं0– 1930 पटना, दिनांक– 7.7.14

प्रतिलिपि– प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिस्फी (मधुबनी)/ आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

7.7.14
सरकार के अपर सचिव
7/7/14